प्रेस ब्रीफ

वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 03, हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत तैयार की गई है । प्रतिवेदन _____ को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई और _____ को राज्य विधान सभा के पटल पर रखी गई ।

वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया तंत्र दक्ष व प्रभावी ढंग से एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित हो रहा था एवं क्या नियमों के तहत प्रदान की गई प्रतिपूरक वनीकरण व जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की गई थी। इस प्रतिवेदन में प्रतिपूरक वनीकरण मामलों एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं की दक्षता का आंकलन करने के लिए अप्रैल 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावी कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल करते हुए “हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़े यथोचित स्थानों पर सम्मिलित किए गए हैं।

प्रतिवेदन में शामिल कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

- राज्य प्राधिकरण की बैठकें निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं एवं वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निधियों के उपयोग में ₹169.73 करोड़ (20 प्रतिशत) की कमी रही। निवल वर्तमान मूल्य के राशि के उपयोग पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान अवक्रमित वन भूमि के विकास घटक के अंतर्गत नेचर/इको पार्कों के विकास पर ₹ 6.51 करोड़ का अनुचित व्यय किया गया। वर्ष 2019-20 से 2020-21 की राज्य प्राधिकरण की वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों (जलविद्युत परियोजनाएं, सड़क, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि) द्वारा 1,018 मामले वन मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 766 मामले अनुमोदन हेतु लंबित थे। इन 766 मामलों में से 17 प्रतिशत मामले राज्य वन विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित थे, जबकि शेष मामले प्रयोक्ता एजेंसियों के स्तर पर लंबित थे। अनुमोदित वन संरक्षण अधिनियम मामलों में सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विभिन्न स्तरों पर आठ प्रतिशत (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 93 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) तक का विलम्ब देखा गया।
- वन संरक्षण अधिनियम मामलों के त्वरित निपटानार्थ प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि बैंक चिह्नित करने की राज्य स्तरीय समिति के गठन के बाद भी लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान कोई भूमि बैंक चिह्नित नहीं किया जा सका। चयनित मण्डलों में की गई प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी रही। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित 5,213 हेक्टेयर के सापेक्ष केवल 4,284 हेक्टेयर में ही प्रतिपूरक वनीकरण किया गया। एक से दो वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण न करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि भूमि एवं वृक्षों की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी, साथ ही लागत वृद्धि के कारण 69 मामलों में ₹ 8.72 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी निर्मित हुई। 194 मामलों में वृक्षारोपण में विलम्ब, पर्यावरणीय हानि की विलम्बित क्षतिपूर्ति/ क्षतिपूर्ति न होने, इस वृक्षारोपण के रखरखाव पर ₹ 2.03 करोड़ के व्यय आधिक्य एवं ₹ 12.87 करोड़ की देयता के रूप में परिणत हुआ। नमूना-जांचित 71 प्रतिशत मामलों में मण्डलों ने प्रतिपूरक वनीकरण स्थल परिवर्तित कर दिया एवं अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि प्रतिपूरक वनीकरण की अवस्थिति में परिवर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
- प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण की ₹ 3.29 करोड़ लागत की अल्प वसूली हुई, क्योंकि विभाग ने आगामी वर्षों में निर्धारित कार्यों की अनुमानित लागत वृद्धि यथोचित प्रावधान नहीं रखा।

- दो परियोजना प्रस्तावकों के पक्ष में अपवर्तित किए गए वन क्षेत्र के बराबर खुले अवक्रमित वन के पुनर्जनन की लागत ₹ 5.53 करोड़ थी, जिसकी मांग/वसूली प्रयोक्ता एजेंसी से नहीं की गई। प्रयोक्ता एजेंसी ने टैक्सस बैकाटा के वृक्षारोपण की अनुमोदित योजनानुसार विभागीय प्रभार सहित वृक्षारोपण की लागत जमा नहीं की, जो ₹ 1.86 करोड़ की अवसूली में परिणत हुआ। इसी भांति विभाग अटल टनल, रोहतांग दर्रे के निर्माण से संबंधित ₹ 12.09 करोड़ की लागत वाली मलबा पुनर्वास योजना को मंजूरी के 13 वर्ष बाद भी लागू करने में विफल रहा। प्रयोक्ता एजेंसी ने कोई निधि जमा नहीं की।
- विभाग निम्नीकृत वन भूमि के पुनर्जनन की अतिरिक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त उक्त निधियों के उपयोग में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण में निधियां जमा न करना, कैशबुक का अनुचित अनुरक्षण/अनुरक्षण न करना, वास्तविक व्यय किए बिना उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, निधियों की जानकारी में कमी, वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से व्यय न करना, लेखापरीक्षा को गलत/भ्रामक उत्तर प्रस्तुत करना व बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना जैसे दृष्टांत पाए गए।
- वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना एवं मण्डल की कार्य-योजना में वन अतिथिगृहों के निर्माण के प्रावधान के बिना ₹ 3.06 करोड़ की लागत पर पांच नए विश्रामगृह बनाए गए (जिनमें वीआईपी कमरों सहित आठ कमरे हैं)।
- जलागम क्षेत्र शोधन योजना 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली प्रस्तावित सिंचाई/जलविद्युत परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक योजना है। विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों से देय निधियों, वास्तव में जमा की गई निधियों एवं उनके सापेक्ष किए गए व्यय के संदर्भ में राज्य में परिचालित जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओं से संबंधित विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए, जो निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है।
- विभाग संशोधित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के अनुसार जल विद्युत परियोजना की लागत वृद्धि के विषय में अनभिज्ञ था अतः प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 198.73 करोड़ की निधि की अतिरिक्त मांग करने में विफल रहा। तीन जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में संशोधित तकनीकी-आर्थिक

मंजूरी के अनुसार स्थापित क्षमता 10 मेगावाट से अधिक तक बढ़ा दी गई। हालांकि वन विभाग इस बढ़ी हुई क्षमता से अनभिज्ञ था व इन जलविद्युत परियोजनाओं से संदर्भित अधिकतम ₹ 8.48 करोड़ निधियों की मांग नहीं की, साथ ही इन तीन जलविद्युत परियोजनाओं हेतु कोई जलागम क्षेत्र शोधन योजना निरुपित नहीं की गई।

- बजोली होली जल विद्युत परियोजनार्थ चयनित जलागम क्षेत्र शोधन योजना की नमूना-जांच से पता चला कि मण्डल निर्धारित समयावधि के भीतर वनीकरण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहा और स्थल निरीक्षण किए बिना ही वृक्षारोपण स्थलों को परिवर्तित कर दिया गया। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजनांतर्गत निर्धारित अध्ययन नहीं किए। मण्डल ने जलागम क्षेत्र शोधन योजना के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कार्य जैसे बाउंड्री पिल्लर्स की मरम्मत, अग्निशमन लाइनों का निर्माण, ऊर्जा बचत उपकरणों का वितरण एवं गाद पर्यवेक्षण चौकियों का निर्माण प्रारंभ तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त जलागम क्षेत्र शोधन योजना के कार्यान्वयन की कोई निगरानी व मूल्यांकन नहीं किया गया।
- 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान पाया गया कि विभाग ने खुले अवक्रमित वनों के बाहर व्यर्थ/अनियमित प्रतिपूरक वनीकरण किया, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण कार्य खुले अवक्रमित वनों के बाहर किया गया। यह भी पाया गया कि 47 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण बहुत सघन वन/मध्यम सघन वन में किया गया, जो इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न करता है (क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही सघन वन मौजूद थे)। वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चयन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था एवं विभाग राज्य के खुले अवक्रमित वन क्षेत्र में भूमि बैंकों/उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चिह्नित करने के लिए उसके भौगोलिक सूचना प्रणाली सेल के पास उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करने में भी विफल रहा।
- भू-स्थानिक अध्ययन में छः प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर संरचनाओं (निर्मित क्षेत्र) एवं 11 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर कृषि किए जाने के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर संभावित अतिक्रमण को भी इंगित किया। इसके अतिरिक्त सात आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित

वनों में संरचनाओं (निर्मित क्षेत्र) की उपस्थिति देखी गई एवं 10 आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में कृषि होना देखा गया।